दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 56* ❑ *अंक-12* ❑ *दिल्ली* ❑ *मार्च, 2018 (द्वितीय)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

भारतीय संविधान के निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर की संविधान निर्मात्री सभा ने सराहना की

आचार्य गुरु प्रसाद

15 अगस्त, 1947 को भारत अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त हुआ और संविधान सभा का गठन 9 दिसम्बर 1946 को डा. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। संविधान सभा ने 29 अगस्त, 1947 को संविधान प्रारूप कमेटी का गठन बाबासाहब डा. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया। डा. अम्बेडकर पहले से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू वाले मंत्रिमंडल में 3 अगस्त, 1947 से ही एक कानून मंत्री के रूप में शामिल थे। संविधान का प्रारूप 14 नवम्बर, 1949 को पूर्ण हुआ तथा भारत की संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। अन्ततः भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

भारतीय संविधान हमारे देश का मौलिक सर्वोच्च कानून है और यह हमारे सामाजिक जीवन की लगभग सभी विधाओं में लागू होता है। इस संविधान के तहत ही भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में गठित हुआ और एक शपथ ली गई कि 'भारत अनुसूचित जातियों तथा अन्य समाज के कमजोर अंगों, जिन्हें जानबूझकर न्याय, आजादी और समानता से युगों युगों से वंचित रखा गया था, उन्हें वे अधिकार दिये जायेंगे। यह संविधान समाज के कमजोर वर्गों के एकमात्र मुक्तिदाता एवं नेता बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही निर्मित हुआ था। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने जीवनपर्यन्त भारत के तथाकथित अछूतों को समाज के उच्च कहलाने वाले लोगों के समान बनाने का प्रयत्न किया तथा उन्हें देश की राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें बसने वाला समाज स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय के विषय में सभी प्रकार से समान हो। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते उनके हृदय के उद्‌गार भारतीय संविधान में अंकित है। यही बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान में उन्होंने अपने साथी सदस्यों के विचार तथा निर्णयों को भी उचित स्थान दिया है।

भारतीय संविधान का दर्शन

भारतीय संविधान में उसके हृदय के रूप में जो प्रस्तावना लिखी है उसमें उसका समूचा दर्शन निहित है जो शपथ के रूप में स्पष्ट होता है।

"हम, भारत के लोग शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ानो के लिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत् दो हजार छः विक्रमी) को एतत्द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

इस अवसर पर भारतीय संविधान की प्रारूप निर्मात्री कमेटी के चेयरमैन डा.बी.आर. अम्बेडकर ने जोरदार शब्दों में कहा—

"संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसके प्रयोग करने वाले व्यक्ति बुरे हैं तो वह संविधान अवश्य ही बुरा संविधान कहलायेगा, और यदि कोई संविधान बुरा भी है किन्तु उसके प्रयोग करने वाले अच्छे व्यक्ति हैं तो वह संविधान अवश्य ही अच्छा बन जायेगा। (अर्थात् संविधान का गुणदोष उसके प्रयोग करने वालों के हाथ में है। अच्छे लोग उसका अच्छा प्रयोग करते हैं और यदि बुरे लोगों के हाथ पड़ जायेगा तो अवश्य ही बुरे परिणाम भुगतने होंगे) **संविधान का प्रयोग करना उसके कुछ प्रयोग करने वालों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि संविधान तो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायापालिका की एक विधामात्र है। इन विधाओं का प्रयोग साधारण लोग और राजनैतिक पार्टियों पर निर्भर है कि वे किस प्रकार लोगों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये इनका वैसा**

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सम्पादकीय

सत्ता, सम्मान और समता के लिए जरूरी है निरन्तर चलने वाले दलित संघर्ष की

सदियों से सत्ता, सम्मान और समता के लिए संघर्ष चलता रहा है। वैदिक काल में देवासुर संग्राम और दशराज युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। सत्ता के लिए यह संग्राम देवता और असुरों के बीच हुआ। इसी तरह दशराज युद्ध भी 10 असुर राजाओं ने निरंकुश देवों के खिलाफ लड़ा। निरन्तर हजारों साल तक चले इस युद्ध में असुरों ने देवताओं के छक्के छुड़ा दिये। समुद्र मंथन की घटना में हम पाते हैं कि देवता और असुरों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत दोनों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त वस्तुओं को एक–एक कर बराबर–बराबर दोनों की बीच बांटा जाना था। समुद्र मंथन से जो भी 14 रत्न निकले, उनमें एक 'अमृत घट' था जो असुरों के हिस्से में आया, पर उस अमृत घट को असुरों को देने के जगह स्वयं देवता जोर जबरदस्ती करके उसे ले दौड़े। इस बेईमानी और जोर जबरदस्ती को असुर कैसे बर्दाश्त करते? वे भी उन बदनियत देवताओं के पीछे दौड़े। 'अमृत घट' की इस छीना झपटी में घड़े से जहां जहां 'अमृत' छलक कर गिरा, वहां–वहां के स्थानों को 'कुम्भ' व 'अर्द्धकुम्भ' नाम दिया गया। हरिद्वार, नासिक, प्रयाग (इलाहाबाद), उज्जैन ये चार कुम्भ देव स्थान हैं जो गंगा, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा नदी के किनारे पर हैं और जहां हर 12 साल में महान कुम्भ और हर तीन साल में अर्द्धकुम्भ समारोह आयोजित किया जाता है, और गर्व के साथ आर्य–ब्राह्मण–साधु सन्त भारी संख्या में इकट्ठा होकर और नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने को 'धन्य' मानते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि ये चारों 'कुम्भ' व 'अर्द्धकुम्भ' देव स्थान असुरों के हिस्से के 'अमृत कुम्भ' से निर्मित बने हैं और ये देवताओं द्वारा असुरों के साथ किये छल कपट, धोखेबाजी और जोर जबर्दस्ती की निशानी है जिसे 'असुर' कभी भी नहीं भुल पायेंगे और जब–जब जहां पर भी 'कुम्भ' व 'अर्द्धकुम्भ' आयोजित होगा 'समुद मंथन' में निकले उनके हिस्से में आये 'अमृत कुंभ' की घटना सदैव उन्हें याद दिलाती रहेगी।

'समुद मंथन' प्रकरण की तरह सत्ता व मान सम्मान का संघर्ष वेदकालीन व उत्तर वेदकालीन समय में साफ दिखाई देता है जहां समाज में अपने को सर्वोत्तम मानने वाले आर्य, सुर, देवता, सवर्ण सत्ता, शिक्षा, धन–दौलत, मान सम्मान को अपनी बपौती मानकर असुर, राक्षस, दैत्य, अनार्य, शूद्र, अछूत को उनके समता, मान सम्मान व सत्ता के अधिकारों का हनन कर उन्हें अपमानित, दंडित, दमित, वंचित करते हैं। इसी सामाजिक व ब्राह्मणवादी विषमता व वर्ण व्यवस्था को उलटने के लिए शम्बूक ऋषि ने पेड़ पर उल्टा लटककर तपस्या की, जिसे ब्राह्मणवादियों ने तपस्या के अपने एकाधिकार पर कुठाराघात मानते हुए महाराज रामचन्द्र से शिकायत कर उनका वध करा दिया। वाल्मीकि रामायण इस घटना का साक्षात् सच्चा सबूत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यह कौन सी मर्यादा है जहां वह अपने रामराज्य की सामाजिक विषमता को खत्म करने की जगह शूद्रवीर महान तपस्वी शम्बूक का सिर अपनी तलवार से काटकर उस सामाजिक विषमता और ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था का पोषण करते हैं? मर्यादा राम यह भी भूल जाते हैं कि 14 साल के वनवास के दिनों में किसी भी ब्राह्मणवादी सवर्ण राजा–महाराजा ने उनकी मदद नहीं की। उनके वनवास में जाने पर दलित, शूद्र व निम्न जाति के लोगों ने ही मदद की, वह चाहे केवट हो, शबरी भीलनी हो या फिर हनुमान, अंगद, जटाऊ, मारीच गिद्धराज हो। इन्हीं दलित जाति के लोगों ने वनवास में उनकी मदद ही नहीं की, बल्कि महाराजा रावण के चंगुल से सीता माता को छुड़ाकर लंका पर राम को विजय दिलाई और विजय के बाद अयोध्या लौटने पर उनका राजतिलक कराया और उन्हें अयोध्या की राजगद्दी पर बैठाया। सामाजिक विषमता से भरे

(शेष पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/-
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/-
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/-
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/-
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/-
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/-
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/-
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/-
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/-
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/-
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/-
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/-
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/-
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/-
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/-
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/-
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/-
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/-
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/-
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/-
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/-
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/-
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/-
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/-
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/-
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/-
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/-
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/-
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/-
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/-
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/-

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी-3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

पृष्ठ 1 का शेष.....भारतीय संविधान के निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर की संविधान निर्मात्री सभा ने सराहना की

राजनैतिक प्रयोग करती है।

बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर राष्ट्र के उत्कृष्ट नेताओं में एक थे जिन्होंने भारत की नीतियों को हमारी आजादी के आने वाले समय के लिये एक नया स्वरूप प्रदान किया है। वे विचारक हैं, क्रान्तिकारी हैं और मानवीय अधिकारों और मानवीय सम्मान के प्रबल पक्षधर हैं। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी होने के नाते उन्होंने हमारी संसदीय संस्थाओं का सुसंगत निर्माण किया है तथा उन्हें सुदृढ़ता प्रदान की है। उनका यह विश्वास था कि ये संस्थायें सामाजिक नव निर्माण की केन्द्रबिन्दु हैं जो करोड़ों करोड़ों दुखित, पीड़ित लोगों के लिये एक सुखद, सुन्दर भविष्य दे सकेंगी।

वे महान प्रजातांत्रिक थे जो पूर्णतः विश्वास रखते थे कि प्रजातंत्र का अर्थ एक ऐसे शासन से है जो लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना किसी बल प्रयोग एवं रक्तपात के एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकेगा। इसीलिये उन्होंने लोगों से संवैधानिक मार्ग को ही अपनाने का सद्आग्रह किया था और क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन के लिये हिंसा के मार्ग का सर्वथा विरोध किया था। समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिये क्रान्तिकारी परिवर्तनों को मूर्तरूप देने मे जान बूझकर जो विलम्ब हो और आवश्यकताओं का आलेख है। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने अपनी विद्वता के प्रभाव का पूर्ण प्रयोग करते हुए भारतीय गणतन्त्र का संसदीय संविधान निर्मित किया। राष्ट्र उनकी देशभक्ति की अपूर्व सेवाओं के लिये हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता है और गणतन्त्र दिवस पर पीड़ित मानव जाति के प्रति उनकी सेवाओं के लिये नमन करता है। यह उद्गार संविधान सभा के संस्थापक सदस्यों द्वारा संविधान सभा में व्यक्त किये गये थे।

भारतीय संविधान के जनक

संविधान के मसौदा (प्रारूप) कमेटी के मनोनीत सदस्य श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने 4.11.1948 को बाबा साहब डा. अम्बेडकर को सही तौर पर 'भारतीय संविधान के पिता' कह कर उन्हें सम्मानित किया था और अपने कथन को न्यायोचित यह कहकर ठहराया था–''यह सभा संभवतः यह जानती है कि सात महानुभावो को आप के द्वारा इस कमेटी में मनोनीत किया गया था। एक महानुभाव ने सभा से त्यागपत्र दे दिया उसके स्थान पर कोई मनोनीत नहीं हुआ। दूसरे महानुभाव काल कवलित हो गये, उनके स्थान पर भी कोई मनोनीत नहीं हुआ। एक महापुरुष अमरीका चले गये और उनके स्थान की भी पूर्ति नहीं हुई। एक महापुरुष रियासती मामलों में अनुसूचित जाति के हैं, किन्तु यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे बहुत उन्नति करेंगे। उन्होंने अपनी विद्वता को सिद्ध कर दिया है कि किस प्रकार उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया है और किस प्रकार इस कार्य में अग्रभाग लिया है। अब मैं सोचता हूँ कि अनुसूचित जातियों पर जो यह अयोग्यता का कलंक लगा है, वह धुल जायेगा और यह सिद्ध हो जायेगा कि वे अन्य लोगों से अधिक योग्य हैं। और उनके इस महान कार्य के लिये मैं अनुसूचित जातियों की ओर से उनका अभिनन्दन करता हूँ। यह अनुसूचित जातियों की शक्ति नहीं थी कि उन्हें संविधान की मसोदा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है बल्कि यह बहुसंख्यकों की कृतज्ञता है। अतः मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं।''

एक स्मरणीय दस्तावेज

5.11.1948 को श्री फ्रेंक अन्थोनी ने कहा–''मैं डाक्टर अम्बेडकर को बधाई देता हूं कि उन्होंने संविधान के मसौदे में भारत के मूल सिद्धान्तों के महत्वपूर्ण विश्लेषण किये हैं, भले ही हम उनके प्रति कुछ भी विचार रखते हों। मेरा विश्वास है कि उनका यह कार्य एक यादगार दस्तावेज के रूप मे कम से कम भौतिक दृष्टि से तो माना ही जायेगा, यदि कोई और दृष्टिकोण नहीं है तो।''

विद्वतापूर्ण विश्लेषण

उसी दिन श्री विश्वनाथदास ने कहा–

संविधान में कांग्रेस की विचारधारा के चिन्ह नहीं

उसी दिन श्री अरूण चन्द्र गुप्ता ने कहा–''समूचे संविधान में हमें कांग्रेस की विचारधारा नहीं मिलती। ना ही कोई चिन्ह इसमें गांधीवादी सामाजिक और राजनैतिक विचारधारा के हैं। विद्वान डा. अम्बेडकर ने अपने विद्वतापूर्ण लम्बे वक्तव्य में गांधीजी और कांग्रेस की चर्चा करने को कोई अवसर नहीं दिया। यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, यदि मैं यह कहूं कि इस संविधान में कांग्रेस की विचारधारा का नितान्त अभाव है। जब हम किसी संविधान का निर्माण करते हैं तो हमारे सामने वह कोई राजनैतिक ढांचा नहीं है जिसे हमने तैयार करना है, और ना ही वह कोई शासन तन्त्र ही है जिससे किसी देश की सामाजिक आर्थिक भावी नीतियों को तय करना है।''

समस्त विश्व प्रभावित हुआ है

उसी दिन श्री.आर.के. सिधवा ने कहा–''श्रीमान्! आदरणीय डा. अम्बेडकर ने एक योग्य तथा परिपूर्ण कानूनविद् होने के नाते इस सदन में संविधान का यह प्रारूप विशुद्ध रूप से पेश किया है कि सारा संसार उससे प्रभावित है।''

राष्ट्र के निश्चयों को सही परिपेक्ष में प्रस्तुत किया है

अन्ततः इस संविधान का कार्यभार संभाल लिया और सम्पादन भी किया। मैं उनका इस कार्य के लिये अभिनन्दन करता हूं।''

डॉ. अम्बेडकर–एक विश्व विख्यात दार्शनिक

श्री वी.आई.मुनीसामी पिल्लइ ने बोलना आरंभ किया–''संविधान की प्रारूप निर्माण कमेटी के अध्यक्ष डा. अम्बेडकर (अति हर्षध्वनि) एक ऐसे समाज से आये हैं जिससे मैं आया हूँ। मुझे अत्यन्त गर्व है कि उनकी योग्यता को केवल अनुसूचित जातियों ने ही मान्यता नहीं दी है अपितु भारत की सभी जातियों के लोगों ने मान्यता दी है। अनुसूचित जातियों ने एक महान साधक, एक महान भक्त, एक महान तिरूवेल्लुवर तथा एक महान दार्शनिक पैदा किया है जिसका नाम और ख्याति न केवल समूचे भारत में है बल्कि समस्त संसार में है।''

एक अद्भुत संविधान निर्माता

श्री कुलधर चालिका ने कहा–''श्रीमान्! इस मौके पर यह बात बिल्कुल सापेक्ष है कि संविधान प्रारूप समिति के कार्यों की प्रशंसा की जाये और उससे भी ज्यादा डा. अम्बेडकर का अभिनन्द किया जाये। क्योंकि उन्होंने इस अद्भुत संविधान के बनाने में अनेकों कठिनाइयों के बावजूद इस कार्य का सम्पादन किया।'

रहा है उसका पूर्वाभास करते हुए उन्होंने 25 नवम्बर, 1949 की संविधान सभा में राष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमें यह असमानतायें जल्दी से जल्दी समय में मिटा देनी चाहिये अन्यथा जो आज असमानताओं से पीड़ित हैं वे कल इस राजनैतिक प्रजातन्त्र के कलेवर को ध्वस्त कर देंगे जिसे बड़े ही कठिन परिश्रम से इस संविधान सभा ने बनाया है।

उन्होंने राष्ट्र को पुनः चेतावनी देते हुए पूछा कि क्या भारतीय जन–मानस अपने देश को अपने धार्मिक मान्यताओं से ऊपर मानेंगे या अपनी धार्मिक मान्यताओं को देश के ऊपर मानेंगे? यह तो मैं नहीं जानता किन्तु यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि यदि राजनैतिक पार्टियां अपनी धार्मिक मान्यताओं को देश के ऊपर मानेंगे तो हमारी स्वतन्त्रता को पुनः खतरा पैदा हो जायेगा और हो सकता है कि वह हमारे से सदा के लिये छिन जाये। इसलिये हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी होगी। हमें हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये अपने रक्त की आखिरी बूंद तक कृत संकल्प होना पड़ेगा।

एक अर्थशास्त्री विधिवेत्ता और समाजशास्त्री होने के नाते डा. भीम राव अम्बेडकर भली भांति जानते थे कि संविधान महज एक कानूनी पुर्जा नहीं है बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक अभिलेख है जिसमें करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं, पीड़ाओं, आशाओं उलझे रहे। यहाँ तक कि एक या दो महानुभाव दिल्ली से बाहर चले गये। संभवतः स्वास्थ्य के कारण वे संविधान सभा में उपस्थित ही नहीं रहे। अन्ततः यह हुआ कि संविधान के मनसौदे (प्रारूप) का सम्पूर्ण भार डाक्टर अम्बेडकर के कंधों पर आ गया। और निःसंदेह हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने यह कार्य इस सुचारू ढंग से पूर्ण किया है जो बिना किसी संदेह के अत्यन्त प्रशंसनीय है।''

दलित जातियों के संरक्षक

श्री एस. नागप्पा ने 21.11.1949 को अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए व्यक्त किया–''यदि दलित जातियों के दृष्टिकोण को देखा जाय तो उन्हें उनके ध्येय उसी दिन प्राप्त हो गये थे जिस दिन डाक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान की मसौदा कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हुआ था। वे दलित जाति के लोगों के अत्यन्त सचेत कल्याणकारी नेता है। वे तब अध्यक्ष चुने गये जबकि कई अन्य दलित सदस्य उनको सहयोग करना नहीं चाह रहे थे इसलिये नहीं कि वे उन्हें सहयोग देना नहीं चाह रहे थे, बल्कि वे जानते थे कि डाक्टर अम्बेडकर उनके हितों की रक्षा के लिये और ऐसे प्रावधान करने के लिये सक्षम है जो अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने में भी पूर्णतः सक्षम है तथा जो हमारे बूते से बाहर हैं। हम उनकी ऊंचाई नहीं छू सकते हैं। डाक्टर अम्बेडकर हालांकि स्वयं ''श्रीमान् मैं डा. अम्बेडकर को उनके संविधान के अपूर्व विश्लेषण के लिये जो उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।''

अद्‌भुत कार्य सम्पादन

उसी दिन श्री लक्ष्मीकान्त मैत्रा ने कहा–''श्रीमान् मैं अपने कृत्य से विमुख हो जाऊंगा यदि मैं डा. अम्बेडकर, जो मेरे आदरणीय मित्र तथा पुराने साथी हैं, को उनके इस अद्‌भुत कार्य सम्पादन के लिये अभिनन्दन न करूं। यह सदन डा. अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक गुत्थियों को सुलझाने और उन्हें सही रूप देने में उनकी अथक शक्ति और विशाल समय लगाने की भूरि–भूरि प्रशंसा करता है।''

संविधान का प्रभावी दिग्दर्शन

उसी दिन डा.पी.एस. देशमुख ने कहा–''डा. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया अभिभाषण अत्यन्त प्रभावशाली था। वस्तुतः यह आज प्रस्तुत किये गये संविधान पर एक प्रभावी व्याख्या थी। आप सभी जानते हैं कि वो एक विख्यात वक्ता हैं और मेरा विचार है कि वे जो कुछ भी उनके समक्ष है उस पर तर्क वितर्क करने की क्षमता रखते हैं। वे इस संविधान को किसी और रूप से प्रस्तुत कर सकते थे, यदि ऐसा कर सकते। कुछ भी हो, वे अपनी कठिनाइयां स्वयं पूर्णतः स्वीकारते हैं जब वे कहते हैं कि आखिर आप एक दिन में सारी शासन प्रणाली नहीं बदल सकते।''

उसी दिन डा.आर.आर. दिवाकर ने कहा–''इस समय मैं यह कहना चाहूंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कवेल संविधान सभा के निर्णयों को ही संविधान के प्रारूप में स्थान नहीं दिया है बल्कि मेरी विनम्र राय में वह उससे भी कही आगे बढ़ गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उसने निर्णयों और निश्चयों का पुनर्वीक्षण किया है। इसने बहुत से निर्णयों को बदल तक डाला है और संभवतः उनका पुनर्लेखन किया है!''

साफ सुथरा लुभावना खुलासा

उसी दिन बेगम एजाज रसूल ने कहा–''जनाबे आला! मैं आनरेबल डा. अम्बेडकर को उनके हिन्दुस्तानी आईन के साफ सुथरे और लुभावने रूप में खुलासा करने पर उन्हें मुबारकबाद देना चाहती हूं। अम्बेडकर और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कोई मामूली काम नहीं किया है, इसलिये वे मुराबकबाद के हकदार हैं।

भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी

श्री अनन्त शयनम् आयंगार ने कहा–''लगभग सभी वैचारिक संस्थाओं के नेता यहां उपस्थित हैं–यहां तक कि डा. अम्बेडकर भी यहाँ उपस्थित है जो महज हमारे कार्यों को देखने तथा उनकी आलोचना करने आये थे किन्तु उन्होंने संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है और वे इस संविधान के जिसे हम आज अंगीकार कर रहे हैं, एक प्रमुख शिल्पी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हम पर अविश्वास करता था और हमारी आलोचना करने आया था, उसने

सम्पूर्ण सदन का अभिवादन

श्री सेठ दामोदर स्वरूप ने कहा–''आदरणीय डा. अम्बेडकर और उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य साथियों का सम्पूर्ण सदन द्वारा अभिनन्दन करना चाहिये क्योंकि उन्होंने यह संविधान अत्यन्त विद्वता और परिश्रम से प्रस्तुत किया है।''

मनु के संविधान में खुशहाली नहीं, डा. अम्बेडकर का कानून भारत को स्वर्ग बना देगा

श्री एच. जे. खांडेकर ने कहा–''मान्यवर! हम आजाद भारत का यह संविधान डा. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, कि योग्यता व विद्वता के अन्तर्गत पास कर रहे हैं। यदि मैं ऐसा कह सकूं, श्रीमान! मैं इस संविधान को महार कानून मानता हूं क्योंकि डा. अम्बेडकर महार है और जब हम इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करें तो यह कानून (विधान) मनु के विधान का स्थान ले लेगा। मनु के कानून के अन्तर्गत देश में खुशहाली नहीं थी, परन्तु यह महार का विधान देश को साक्षात स्वर्ग बना देगा।''

गांधी जी ने आजादी दी : डाक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया

श्री श्याम नन्दन सहाय ने कहा–''अन्ततः ना कि अन्तिम, यह संविधान हमें विचित्र प्रतीत होता है। महात्मा जी के तौर तरीकों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि अपने विरोधी के साथ सद्‌व्यवहार ही उसकी

आलोचनाओं पर विजय पा सकता है। उसका एक व्यवहारिक उदाहरण हमारे समक्ष है जो एक ऊंचे स्तर पर कार्यक्रम में परिवर्तित हुआ है। यदि हम कहें कि आजादी की प्राप्ति का श्रेय यदि महात्मा गांधी जी को जाता है तो दूसरा संविधान रचना का श्रेय उनके आलोचक को जाता है अर्थात् डा. अम्बेडकर को जो हमारे संविधान के महान शिल्पी हैं। (डा. अम्बेडकर से) श्रीमान् आप इस असेम्बली के ही नहीं पूरे देश की ओर से अभिनन्दन के पात्र हैं। आपको केवल हमारे द्वारा ही नहीं, भावी पीढ़ी के द्वारा भी सदा सम्मान सहित स्मरण किया जाएगा।''

महान कालदृष्टा के रूप में अपने नाम भीम नाम को सार्थक किया

श्री आर.वी.धूलेकर ने कहा–''डा. अम्बेडकर ने एक अत्यन्त महान कार्य किया है। मैं उसे कोई एक कार्य नहीं कहूंगा क्योंकि यह बहुत छोटा नाम है। उसने तो यह कार्य महान पाण्डवों के भाई भीम का कार्य किया है। इस नाम को डा. भीमराव अम्बेडकर ने न्यायोचित बनाया है। भीम राव ने यह कार्य दृष्टि की विशुद्धता, विचार की विशुद्धता और भाषा की विशुद्धता से पूर्ण किया है।''

अथक कार्य ने सबको संतुष्ट किया

श्री अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर ने हा–''इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूं। मैं कहना चाहूंगा कि यदि मैं अपने मित्र आदरणीय डा. अम्बेडकर की उनकी अद्‌भुत बुद्धिमता और योग्यता की प्रशंसा नहीं करूंगा तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख होऊंगा। डा. अम्बेडकर ने इस संविधान को जिस प्रकार संचालित किया है मैं, उसके लिये उनके संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते उनके अथक कार्यों की प्रशंसा करता हूँ। मुझे यह बात मालूम है कि मेरे मित्र टी.टी. कृष्णमाचारी ने योग्यतापूर्वक सहयोग दिया है।

भीमस्मृति प्रणेता

श्री के.एम. जेठा ने कहा– ''कुछ सदस्यों ने डा. अम्बेडकर का अभिनन्दन करते हुए उन्हें आधुनिक मनु कहा है। मुझे विश्वास है कि वे इस नाम के प्रयोग को पसन्द नहीं करते। मैं जानता हूँ कि वे मनु से, जिसने चार वर्ण बनाये हैं और जिसमें से सबसे नीचे वाले वर्ण में अछूत लोग माने जाते हैं, घृणा करते हैं। मुझे स्मरण है कि उन्होंने 1929 में महाड़ में अछूतों की एक बहुत बड़ी भीड़ में मनु–स्मृति को जलाया था। वे अनुसूचित जाति के बहुत बड़े नेता हैं और उनके द्वारा वे उनके मसीहा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्हें इन पर बहुत नाज है। वे इन्हें भीम कहकर बुलाते हैं और लोगों से कहते हैं कि उन्होंने भीमस्मृति की रचना की है। मैं भी इसे भीम स्मृति ही कहता हूं हालांकि मैं स्पृश्य जाति का हूं। डा. अम्बेडकर एक महान विधिवेत्ता हैं और बहुत बड़ी योग्यता के धनी और विद्वान हैं। और इस बात में किसी को कोई शंका नहीं है कि अस्पृश्यता कानून के द्वारा मिटाई जायेगी। संविधान को बनाते समय डा. अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनकी रक्षा के लिये तत्पर रहे हैं।''

अजेय स्टीम रोलर

डा.बी. पट्टाभिसीतारमैया ने कहा था–''हमारे मित्र डा. अम्बेडकर ने जो करना था वह कर दिया। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वाह! अम्बेडकर वाह!! आपने तो अपनी विद्वता के स्टीम रोलर से एक कठिनतम कार्य को बड़े सुन्दरतम तरीके से पेश कर दिखाया। इस कार्य से बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता। आपने तो विशाल पाम–वृक्षों और छोटे पादपों को इकसार कर दिया। जो भी आपके सामने आया, आपने उसे परिणामों की परवाह किये बिना आड़े हाथों लिया।

संविधान के मुख्य कलाकार

श्री महावीर त्यागी ने कहा था–''डा. अम्बेडकर, जो एक महान कलाकार हैं, ने अब अपनी तूलिका एक ओर रख दी है और चित्र पर से पर्दा हटा दिया है ताकि जनता उनके चित्र को देखे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।''

भारत को अराजकता से बचाया

पंडित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने हा था–''संविधान निर्मात्री सभा तथा डा. अम्बेडकर ने जो कुछ भी किया है वह हमारे लिये अच्छी बात है और यही वह कार्य है जिसने हमें अराजकता से बचा लिया है। इसीलिये मैं कहता हूं कि जो भी उनकी आलोचना कर रहे हैं उनकी यह भावना अच्छी नहीं हैं। इस संविधान की आत्मा जो भी है वह है इसे अमल में लाने की। क्या कोई स्पष्ट, ईमानदार, पवित्र और एकता के लिये कटिबद्ध राजनैतिक पार्टी है जो इसे अमल में ला पायेगी? नहीं तो कोई अधिनायक ही इसको अमल में ला पायेगा।''

महत्वूपर्ण संविधान का निर्माण

श्री ताजमहल हुसैन ने कहा था– ''संविधान बनाने का सारा श्रेय कानून मंत्री डा. अम्बेडकर को जाता है। वह परम विद्वान है। वह संसार के सभी कानूनों और विधानों को भली भांति जानते हैं। जो वह नहीं जानते उसे जानने से क्या फायदा? डा. अम्बेडकर ने शुरू से आखिर तक बड़ी मेहनत से कार्य किया है। इनकी सतत बीमारी की हालत में भी मेहनत करने से यह अद्‌भुत संविधान बन पाया है।''

संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय अभिनंदन

डा. राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष संविधान सभा ने अपने उद्‌गार प्रकट करते हुए कहा था– ''संविधान सभा की कार्यवाही समाप्त करने से पूर्व में इस महान सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी ओरसे मुझे सदा सज्जनता का परिचय मिला है। यूं कहना चाहिये कि उससे सदा सम्मान और स्नेह मिला है। अध्यक्ष के आसन पर बैठकर दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं को देखते हुए मुझे जो अनुभव हुआ है वह किसी को भी नहीं हुआ होगा कि किस लगन और मेहनत से संविधान की प्रारूप समिति और विशेष रूप से उसके अध्यक्ष डा.बी.आर. अम्बेडकर ने अपने बिगड़े स्वास्थ्य के बावजूद जो अपनी लगन का परिचय दिया है, वह अद्वितीय है (हर्षध्वनि) हमने कभी कोई ऐसा सही निर्णय नहीं लिया जैसा कि उन्हें संविधान निर्मात्री कमेटी के अध्यक्ष बनाने का लिया है। इन्होंने अपने इस चयन को न्यायोचित ही नहीं सिद्ध किया बल्कि उस कार्य में इन्होंने चार चांद लगा दिये। इस विषय में यह अच्छा नहीं होगा कि हम कमेटी के दूसरे सदस्यों में कोई भेदभाव करें क्योंकि मैं जानता हूं कि सबने उसी पुनीत भावना से कार्य किया है ओर वे सभी देश के धन्यवाद के पात्र हैं। •

हिमायती
हिन्दी पाक्षिक पत्र
पढ़ें और आगे बढ़ें।

सम्पादकीय का शेष....सत्ता, सम्मान और समता के लिए जरूरी है निरन्तर चलने वाले दलित संघर्ष की

उनके रामराज्य में उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम से 'न्याय' की क्या आशा की जा सकती है जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अनार्यवीर 'शम्बूक' का सिर अपनी तलवार से काटकर अलग कर दिया और एक साधारण से व्यक्ति के उलाहना देने पर कि 'मैं राम नहीं हूं जो दूसरे के घर रहकर आई पत्नी को अपने घर में रख ले।' राम बिना सोचे– विचारे अपनी गर्भवती पत्नी सीता को बिना उसकी बात सुने रात में ही सुदूर वाल्मीकि आश्रम में छोड़ आये। धन्य है वह वाल्मीकि ऋषि, जिसने सीता को अपनी बेटी के समान रखकर उसके जन्में नवजात शिशु–लव कुश की परवरिश कर उन्हें धनु–विद्या में पारंगत किया। कालान्तर में इन्हीं लव कुश ने पुरुषोत्तम राम को उसकी गलतियों का अहसास कराया और पश्चाताप करने पर मजबूर किया, जिससे आहत हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर आत्महत्या कर ली। इसे निरपराधी महर्षि शम्बूक और महर्षि वाल्मीकि का शाप और माता सीता के साथ किए विश्वासघात, अन्याय, दुराचार, अपमान का घोर अभिशाप भी कहा जा सकता है।

आज भी कुछ लोग 'राजराज्य' की कल्पना करके प्रजातांत्रिक भारत में उसको लौटा लाना चाहते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि अब सामाजिक समता, मान–सम्मान, स्वतंत्रता व पारस्परिक भाईचारे वाले समाज में ऐसे 'रामराज्य' को कोई भी नहीं चाहेंगे और ना ही ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को।

सामाजिक विषमताओं और मनुवादी वर्ण व्यवस्थाओं की घटनायें हमें महाभारत में भी दिखाई पड़ती हैं। वर्ण व्यवस्था और जात–पात की पहली घटना भील बालक एकलव्य से सम्बन्धित है। उन दिनों ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य पांडव पुत्रों को धनुर्विद्या सीखा रहे थे। जंगलों में उन्हें धनुर्विद्या सीखाते गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर भील बालक एकलव्य ने उन्हें दंडवत करके उनसे उसे भी धनुर्विद्या सीखाने का अनुरोध किया। इस पर गुरु द्रोणाचाग्र ने उसे झिझकते हुए कहा कि तुम अछूत हो, शूद्र हो, और नीच हो, इसलिए हम तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते। यहां से जाइये।

अपमानित और प्रताड़ित होकर वह अछूत भील बालक वहां से चला आया। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि वह निरन्तर अभ्यास करके महान धनुर्धर बनूंगा और इस अपमान का बदला लूंगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ उसने जंगल में अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर धनुष–बाण चलाने का अभ्यास शुरू किया। अपने दृढ़ निश्चय, घोर अभ्यास, अथक मेहनत से एकलव्य धनुर्विद्या में पारंगत हो गया और वह किसी के आहट व आवाज पर अपने बाण से उसका वध करने व शिकार बनाने की उच्च विद्या ग्रहण कर ली। वह अब किसी की आवाज का अपने बाण से भेदने में कुशल व पारंगत हो गया।

एक दिन प्रातःकाल जब वह अपना धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था तब उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी गुरु द्रोणाचार्य व पांडवों के साथ आये कुत्तों की। एकलव्य ने उन कुत्तों के भौंकने की आवाज पर आवाज भेदी बाण चलाकर उनका मुंह ही बन्द कर दिया। उनके भौंकना बंद होने पर पांडवों ने देखा कि उनके कुत्तों के मुंह किसी ने बाण चलाकर बन्द कर दिये हैं। इस पर पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, ''गुरु जी, हमारे कुत्तों का मुंह बाणों से किसने बन्द कर दिया है, जो अब भौंक भी नहीं रहे हैं। आपने आवाज भेदने की यह धनुर्विद्या हमें तो नहीं सिखाई। फिर यह विद्या आपने किसको कैसे दी?'' गुरु द्रोणाचाग्र कुत्तों का बाणों से मुंह बंद देख खुद आश्चर्यचकित थे। वह पांडवों के सवाल का क्या जवाब दें जबकि उनसे बड़ा और कोई धनुर्धर नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, ''ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी आओ आगे चलकर देखते हैं कि किसने कुत्तों का यह हाल किया है।''

गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को लेकर ज्यों ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर वही भील बालक एकलव्य धनुर्विद्या के अभ्यास में लीन दिखाई दिया। उसने उसके पास जाकर पूछा, ''बाणों से कुत्तों के मुंह तुमने बन्द किए हैं?'' भील बालक एकलव्य ने बड़ी निडरता से कहा, ''हां, वे मेरे धनुर्विद्या अभ्यास में जोर–जोर से भौंक कर बाधा डाल रहे थे, इसलिए मैंने आवाजरोधी बाण चलाकर उनका मुंह बंद कर दिया।''

गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपके गुरु कौन हैं जिससे यह धनुर्विद्या सीखी है। भील बालक एकलव्य ने निर्भीकता से बेझिझक कहा, ''आप ही तो मेरे गुरु हैं, देखो आपकी इस प्रतिमा से आशीर्वाद लेकर यह धनुर्विद्या मैंने सीखी है।''

इस पर पांडवों के सामने अपनी खीज मिटाते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, ''अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दीजिये।'' भील बालक एकलव्य ने कहा, ''आप, आज्ञा कीजिए।'' गुरु द्रोणाचार्य जानता था कि अपने निजी अभ्यास से जो इतनी बड़ी धनुर्विद्या सीख ली है तो फिर आगे चलकर तो यह पांडवों से भी बढ़कर धनुर्धर बन जायेगा और उन्हें भविष्य में चुनौती दे सकेगा। इसलिए उन्होंने एकलव्य से उसके सीधे (दायें) हाथ का अंगूठा मांग लिया जिससे वह फिर कभी बाण ही न चला सके।

भील बालक एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की धूर्तता को नहीं समझ सका और उसने अपनी तलवार से अपने दांये हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। एकलव्य को बिना कुछ कहे गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ उस कटे अंगूठे को लेकर यह कहता चला गया, ''अब यह भील बालक कभी धनुष बाण नहीं चला सकेगा।''

वीर भील बालक एकलव्य बिना निराश हुए फिर से धनुर्विद्या अभ्यास में जुट गया और अपने बांये हाथ के अंगूठे से धनुष बाण चलाने में उतनी ही महारथ हासिल कर ली, जितनी दांये हाथ के अंगूठे से वह बाण चलाता था।

गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दांये हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में लेकर भले ही खुशी जाहिर की हो, पर महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वीर एकलव्य कौरव सेना की ओर से बाणों की वर्षा करने लगा तो वह यह देखकर दंग रह गया कि भले ही उसने उसका दांया अंगूठा गुरु दक्षिणा के नाम पर धोखे से ले लिया हो, पर वह तो अपने बांयें हाथ से भी उससे और ज्यादा तेजी से बाण चलाकर पांडव सेना में त्राहि–त्राहि मचाये हुए।

महान धनुर्धर वीर एकलव्य के सामने दुष्ट, मक्कार, धोखेबाज, छलकपटी गुरु द्रोणाचार्य की पोल खुल गई जिसने सोचा था कि अब एकलव्य कभी धनुष बाण नहीं चला सकेगा। धन्य वीर एकलव्य जिसने पुनः अपने निरन्तर धनुर्विद्या अभ्यास से अपने कटे अंगूठे का बदला लेते हुए गुरु द्रोणाचार्य के अभिमान और गुरुडम को कुरूक्षेत्र के मैदान में मिट्टी में मिला दिया और अपनी अछूत, दलित, शूद्र जाति को महानता दिलाकर गौरवान्वित किया।

दलित वीर के अन्दर 'रक्त बीज' है। इनका कोई चाहे कितना खात्मा करना चाहे, वे एक रक्त की बूंद से हजार वीर पैदा करने में सक्षम हैं। पर देश की आजादी के 70 साल बाद भी दलितों को सत्ता, सम्मान व समता मिलनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं मिली। इसी लिए इनकी प्राप्ति के लिए जरूरी है निरन्तर चलने वाले दलित संघर्ष की। •

हिमायती
4 / मार्च (द्वितीय), 2018 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 16-17 मार्च, 2018

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 14 मार्च, 2018

जाति प्रथा के उन्मूलन के बिना राजनीतिक व आर्थिक सुधार संभव नहीं-डा. अम्बेडकर

● लाजपत राय

क्या समाजवादी लोग सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न समस्या की उपेक्षा कर सकते हैं? भारत के समाजवादी यूरोप में अपने साथियों का अनुसरण करते हुए इतिहास की आर्थिक व्याख्या को भारत के तथ्यों पर लागू करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। उसके कार्यकलाप और आकांक्षाएं आर्थिक तथ्यों से परिबद्ध और संपत्ति सत्ता का एकमात्र स्रोत है। इसलिए वे इस बात का प्रचार करते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार केवल भारी भ्रम है और संपत्ति के समाजीकरण द्वारा आर्थिक सुधारों को अन्य हर प्रकार के सुधारों से वरीयता दी जानी चाहिए।

ऐसे विषयों में से प्रत्येक विषय पर कोई भी चर्चा कर सकता है कि समाजवादियों का यह सिद्धांत आर्थिक सुधार पर आधारित है और प्रत्येक प्रकार के सुधार पर वरीयता दी जानी चाहिए। किसी की भी यह धारणा हो सकती है कि आर्थिक प्रेरणा ही मात्र ऐसी प्रेरणा नहीं है, जिससे व्यक्ति प्रेरित होता है। मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि आर्थिक शक्ति ही एकमात्र शक्ति है। किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर ही अक्सर शक्ति का स्रोत बन जाता है और उसके प्रभाव से उसका प्राधिकार प्रदर्शित होता है, जैसा कि महात्माओं का सामान्य व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव रहा है।

भारत में धनवान लोग साधुओं और फकीरों की आज्ञा क्यों मानते हैं? भारत में लाखों गरीब अपनी मामूली चीजों को भी जो उनकी एकमात्र संपत्ति होती है, बेचकर बनारस और मक्का क्यों जाते हैं? भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण है कि धर्म सत्ता का स्रोत है, जहां पुजारी को सामान्य व्यक्ति से अधिक महत्व प्राप्त है और कभी-कभी तो यह प्रथम मजिस्ट्रेट से भी अधिक होता है। भारत में हर चीज, यहां तक की हड़ताल और चुनाव पर भी आसानी से धर्म का प्रभाव पड़ता है और वह ऐसी धार्मिक घटनाओं को धार्मिक मोड़ देता है।

यदि समाजवाद एक व्यावहारिक कार्यक्रम है और केवल एक दूर का आदर्श नहीं है, तो किसी समाजवादी के लिए यह प्रश्न नहीं है कि क्या वह इस बात को नापसंद करता है कि एक वर्ग एक व्यवस्था या एक सिद्धान्त के रूप में दूसरे वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करता रहे और उसका दमन करता रहे और इस तरह दमन और अत्याचार को चलते रहते देखता रहे और इस प्रकार एक वर्ग से दूसरे से अलग हो जाए।

अब यह स्पष्ट है कि समाजवादियों द्वारा अपेक्षित आर्थिक सुधार तब तक नहीं हो सकते, जब तक कि सत्ता को हथियाने के लिए क्रान्ति नहीं होती। सत्ता को सर्वहारा वर्ग द्वारा हथियाना जाना चाहिए। मेरा पहला प्रश्न है कि भारत का सर्वहारा वर्ग यह क्रान्ति लाने के लिए संगठित हो जाएगा? ऐसे कार्य के लिए व्यक्तियों को कौन प्रेरित करेगा? मुझे लगता है कि अन्य बातें समान रहने पर, केवल एक बात जो किसी व्यक्ति को इस बात की कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करेगी, वह यह भावना है कि दूसरा आदमी जिसके साथ वह काम कर रहा है, वह समानता, भाईचारा, और इनसे भी बढ़कर न्याय की भावना से प्रेरित है। लोग जब तक यह नहीं जानेंगे कि क्रान्ति के बाद उनके साथ समानता का व्यवहार होगा और जाति और नस्ल का कोई भेदभाव नहीं होगा, तब तक वे संपत्ति के समाजीकरण हेतु क्रान्ति में शामिल नहीं होंगे। क्रान्ति का नेतृत्व करने वाले किसी समाजवादी का यह आश्वासन कि मैं जाति-प्रथा में विश्वास नहीं करता, मेरे विचार में काफी नहीं। आश्वासन ऐसा होना चाहिए जिसकी गहरी बुनियाद हो, अर्थात् एक देशवासी का मानसिक व्यवहार दूसरे के प्रति व्यक्तिगत समानता और भाईचारे की भावना से भरा हो। क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा वर्ग निर्धन होने के नाते निर्धन होकर भी निर्धन और सम्पन्न के फर्क के अतिरिक्त कोई दूसरा फर्क नहीं मानता? क्या यह कहा जा सकता है कि भारत के गरीब लोग जातियां, नस्ल, ऊंच या नीच के ऐसे भेदों को नहीं मानते? यदि सच्चाई यह है कि वे मानते हैं, तो इस प्रकार के सर्वहारा से अमीरों के विरुद्ध कार्यवाही करने में किस एकता की अपेक्षा की जा सकती है? यदि सर्वहारा वर्ग संगठित रूप में मोर्चा नहीं लगाता तो क्रान्ति कैसे हो सकती है? तर्क के लिए यह मान लिया जाये कि अच्छे भाग्य से क्रान्ति हो जाती है और समाजवादी सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या उन्हें समस्याओं से नहीं निपटना होगा, जो भारत में प्रचलित विशेष सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न हुई है? दैत्य को नहीं मारोगे, आप न कोई राजनीति सुधार कर सकते हैं, न कोई आर्थिक सुधर।

अम्बेडकर आगे कहते हैं कि अफसोस है कि आज भी जाति-प्रथा के समर्थक मौजूद हैं। इसके समर्थक अनेक हैं। इसका समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि जाति-प्रथा श्रम के विभाजन का एक अन्य नाम भी है। यदि श्रम का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य लक्षण है, तो यह दलील दी जाती है कि जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। इस विचार के खिलाफ पहली बात यह है कि जाति-प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का विभाजन भी है। इसमें सन्देह नहीं है कि सभ्य समाज को श्रम का विभाजन करने की आवश्यकता है। किन्तु किसी भी सभ्य समाज में श्रम के विभाजन के साथ इस प्रकार के पूर्णतः अलग वर्गों में श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन नहीं होता। जाति-प्रथा मात्र श्रमिकों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रम के विभाजन से बिल्कुल भिन्न है। यह एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम में होता है। श्रम का यह विभाजन

दलित साहित्य : एक सशक्त क्रान्ति

● ओम प्रकाश वाल्मिकी

दलित साहित्य समाज में फैले आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक सशक्त क्रान्ति है। मार्क्सवादी या साम्यवादी जिस प्रकार इस क्रांति के मर्म को लोकबद्ध मानते है, दलित साहित्य वैसा नहीं मानता है। अम्बेडकरवाद एक विशिष्ट सीमा तक मानव स्वभाव को नियंत्रित करने की बात स्वीकारता है, लेकिन वर्ण–संघर्ष के नाम पर वह स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे मूल्यों के हनन स्वीकार नहीं करता।

साहित्य–सृजन साहित्यकार के सामाजिक, आर्थिक परिवेश के अनुसार होता है, जीवन सापेक्ष रहता है, साहित्यकार के संस्कार महत्वपूर्ण तत्व साबित होते हैं। यही कारण है कि समूचे भारतीय साहित्य में महान से महान साहित्यकार दलितों की समस्या से अनभिज्ञ रहे। यदि आज समस्त भारतीय साहित्य का समग्र दृष्टि से मूल्यांकन करें, तो उंगलियों पर गिने जाने वाले साहित्यकार ही मिलेंगे जिनमें दलितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है।

साहित्य को समाज का दर्पण कहने वाले साहित्यकार सही मायनों में साहित्य को समाज का दर्पण बनाने में असमर्थ रहे। हिन्दी की स्थिति और भी सोचनीय है। कबीर, रविदास, निराला और प्रेमचन्द को छोड़कर कितने साहित्यकार हैं जिन्होंने इस देश के उस समाज की व्यथा का शब्दांजन किया हो, जो युगों–युगों से घोर अमानवीय सामाजिक जीवन जी रहा था? क्या हिन्दी साहित्यकारों ने स्वयं को एक सीमित दायरे में प्रतिबन्धित नहीं कर लिया था?

क्या उनके भीतर कहीं ब्राह्मणवाद का भूत कुंडली मारकर नहीं बैठा था, या जाने अन्जाने में वे उस व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहे थे जिसकी जड़ वर्ण–व्यवस्था जैसी घोर अमानवीय हित में है।

लेखक मनुष्य की बाह्य अनुभूतियों को ही व्यक्त करने वाला प्राणी नहीं होता। कम से कम आज की परिस्थितियों में लेखक की सामाजिक जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। केवल कलावादी, जीवनवादी, परम्परावादी, मूल्यों, कल्पनाओं को साहित्य का आधार मानकर जीने वाला लेखक का रचना संसार अर्थहीन है क्योंकि जब तक साहित्य की कोई सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं होगी। शब्द की आग ठंडी राख के समान ही साबित होगी। उस परम्परा को नकारना होगा, जिसमें मानवीय अनुभूतियां केवल कुछ विशिष्ठ वर्गों तक ही सीमित हैं जो सामन्ती मूल्यों की महिमा मंडित करते हो, जहां नारी को अबला एवं भोग की वस्तु माना जाता हो, जहां राजा ईश्वर का अंश हो, जहां सत्ताधारी राजा ब्राह्मण की बात तो सुने, शूद्र को बिना सुने मौत की सजा दे दे, जहां गुरु परम्परा में द्रोणाचार्य के आदर्श को उच्च स्थान देकर एकलव्य की पीड़ा को अनदेखा कर दे। दलित साहित्य सिर्फ एक दलित, अछूत या शूद्र का साहित्य नहीं है, दलित साहित्य अपने आप में बेहद व्यापक अर्थ रखता है। 'दलित' शब्द के भीतर छिपा गूढ़ अर्थ जिस भाव की व्याख्या करता है, वह एक पहचान है, उन लोगों की जो सदियों से दबे कुचले, प्रताड़ित, उपेक्षित लोग हैं, जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता, दृढ़ता और मौलिकता सिद्ध की है, इस देश के निर्माण में अपना जीवन स्वाहा किया है सत्ता और उसके इर्द–गिर्द बिखरे स्वार्थी तत्वों ने उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं किया। •

मैं नहीं समझता कि उन पक्षपातों द्वारा उत्पन्न समस्याओं का सामना किए बिना, जो भारतीय लोगों में ऊंच–नीच, स्वच्छ–अस्वच्छ के भेदभाव उत्पन्न करती है, भारत में कोई सामाजिक राज्य एक सेकंड भी कार्य कर सकता है। यदि समाजवादी अच्छी सूक्तियां बोलने से ही संतुष्ट नहीं है, और यदि समाजवादी समाजवाद को एक निश्चित वास्तविकता में बदलने के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और वे इससे बचकर नहीं भाग सकते। भारत में फैली सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मामला है, जिससे समाजवादी को निपटना होगा। जब तक वह ऐसा नहीं करेगा, तब तक वह अपनी क्रान्ति नहीं ला सकता और यदि सौभाग्य से वह क्रान्ति लाता भी है तो उसे अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए इस समस्या से जूझना होगा। मेरे विचार से यह एक ऐसा तथ्य है, जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। यदि वह क्रान्ति से पहले जाति की समस्या पर ध्यान नहीं देता है तो उसे क्रान्ति के बाद उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसे हम दूसरी प्रकार यूं कह सकते हैं कि चाहे आप किसी भी दिशा में देखें, जाति एक ऐसा दैत्य है, जो आपके मार्ग में खड़ा है। आप जब तक इस अपने आप नहीं होता। यह स्वाभाविक अभिरुचि पर आधारित नहीं है। सामाजिक और वैयक्तिक कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की क्षमता को इस बिंदू तक विकास किया जाए कि वह अपनी जीविका का चुनाव स्वयं कर सके। जाति प्रथा में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को पहले से ही कार्य सौंपने का प्रयास किया जाता है, जिसका चुनाव प्रशिक्षित मूल क्षमताओं के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि माता–पिता के सामाजिक स्तर पर होता है। भारत में अनेक ऐसे व्यवसाय हैं, इसलिए जो लोग उनमें लगे हैं, वे उनसे पीछा छुड़ाने को तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यवसायों से बचने और उन्हें त्यागने की निरंतर इच्छा बनी रहती है। इसका एकमात्र कारण वह निराशाजनक प्रभाव है, जो उन पर हिन्दू धर्म द्वारा उनके ऊपर आरोपित कलंक के कारण पड़ता है। ऐसी व्यवस्था में क्या कार्यकुशलता हो सकती है, जिसमें न तो लोगों के दिल और न दिमाग अपने काम में होते हैं? इसलिए एक आर्थिक संगठन के रूप में जाति प्रथा एक हानिकारक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक शक्तियों का दमन रहता है और सामाजिक नियमों की तत्कालीन आवश्यकताओं की प्रवृत्ति होती है।

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 Email-sumanakshar@ymail.com

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009